बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, वेबसाईट : www.bsea.bih.nic.in, ई-मेल: bseapatna@gmail.com

पत्रांक : नि० प्रा०/नि० 1-17/2019 1263 /पटना, दिनांक 04/06/2020

प्रेषक,

रंजना कुमारी,
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०),
सभी उप विकास आयुक्त -सह- नोडल पदाधिकारी (स०स०),
सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी -सह- जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०),
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचलाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०),

विषय : **बिहार राज्य से इतर प्राधिकार के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण-पत्र के अनुमान्यता के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) निर्वाचन, 2019 के दौरान कतिपय निर्वाचन पदाधिकारियों (स०स०) द्वारा पृच्छा की गई थी कि दूसरे राज्य अथवा देश से निर्गत जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर पैक्स निर्वाचन में आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है या नहीं?

उक्त के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा सूचित किया गया है कि ''बिहार राज्य के अधीन जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने वाले अधिकृत प्राधिकारों से इतर किसी अन्य प्राधिकार यथा- नेपाल अथवा झारखंड राज्य से निर्गत जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर आरक्षण का दावा अनुमान्य नहीं है।'' इस प्रसंग में बिहार अधिनियम- 15, 2003 की प्रति भी संलग्न है।

अत: अनुरोध है कि सहकारी समितियों के निर्वाचन में आरिक्षत पदों पर होनेवाले नामांकन के संबंध में उक्त के आलोक में आरक्षण का अनुपालन किया जाय।

विश्वासभाजन,
04.6.20

अनुलग्नक: यथोक्त।

(रंजना कुमारी)
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 1263 /पटना, दिनांक : 04/06/2020

प्रतिलिपि : 1. सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04.6.20
संयुक्त सचिव।

BSEA dt.04.06.2020 Vasant

(217)

Bihar Act 15, 2003

THE BIHAR RESERVATION OF VACANCIES IN POSTS AND SERVICES FOR SCHEDULED CASTES, SCHDULED TRIBES AND OTHERS BACKWARD CLASSES) (AMENDMENT) ACT, 2003.

AN

ACT

TO AMEND THE BIHAR RESERVATION OF VACANCIES IN POSTS AND SERVICES (FOR SCHEDULED CLASSES, SCHEDULED TRIBES AND OTHER BACKWARD CLASSES) aCT, 1991 (BIHAR aCT-3, 1992) (AS AMENDED FROM TIME TO TIME).

BE, it enacted by the Legislature of the state of the state of Bihar in the fifty-fourth year Republic of India as follows: -

1. Shor title extent and commencement (1) This act may be called in Bihar Reservation of vacancies in posts and services (for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes) (Amendment) Act, 2003.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) Section-2 of this Act shall come into force with effect from 1st April 1990 and section 3 and 4 with effect from 11th June, 1996.

2. Amendment of Section-3 of Bihar Act, 3, 1992-The following new clause (f) shall be added after clause (e) of Section-3 of Bihar Act-3, a992 namely: -

" (f) Appointment on compassionate ground of the dependants of the persons killed in incidents of Terrorism/extremist/Cast antagoinsm and communal violence/Electoral violence/Massacre other incidents of volence."

3. Amendment of Section-4 of Bihar Act, 3, 1992-The following third proviso shall be added to sub-section (2) of section-4 of the said Act.

"Prodived further that the candidates residing out of the State of Bihar shall not claim for benefits of reservation under this Act."

4. Repeal and savings- (1) All such orders/Resolutions/Circulars/Provisions of any Act which are inconsistent to this amendment Act shall be deemed to the repealed to this extent.

(2) Notwithstanding such repeal under sub-section (1) of this section, anything done or any action taken according to letter no. 70, dated the 11th June, 1996

shall be deemed legal, as if this Act were in force on the day which letter no. 70, dated the 11th June, 1996 was in force.

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
ह०/–
(राजेश कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

****

6. बिहार अधिनियम, 15, 2003 (मूल)

बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिये) (संशोधन) अधिनियम, 2003

बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिये) अधिनियम, 1991 (बिहार अधिनियम 3, 1992) (समय–समय पर यथा संशोधित) का संशोधन करने के लिये अधिनियम ।

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो –

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ–

(1) यह नियम बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूति जन–जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिये) (संशोधन) अधिनियम, 2003 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) इस अधिनियम की धारा–2 दिनांक 1 अप्रील, 2000 तथा धारा 3 एवं 4, दिनांक 11 जून 1996 के प्रभाव में प्रवृत्त होंगी ।

2. बिहार अधिनियम–3, 1992 की धारा–3 का संशोधन :–बिहार अधिनियम–3, 1992 की धारा–3 के खंड (ड़) के बाद निम्नलिखित नया खंड "च" जोड़ा जायेगा, तथा–

(च) "आतंकवादी/जातीय अनबन या सांप्रदायिक दंगा/निर्वाचन संबंधी हिंसा/अन्य हिंसक घटनाओं में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियाँ ।"

3. बिहार अधिनियम–3, 1992 के धारा–4 का संशोधन -- निम्नलिखित तीसरा परन्तुक उक्त अधिनियम की धारा–4 की उप–धारा (2) में जोड़ा जायेगा :–

"परन्तु और कि बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे ।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से.

ह०/–

(राजेश कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव ।